



गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अन्तर्गत संस्थापित विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act, 2009 NO.25 of 2009)
Web Site - www.ggb.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148, 154

का १२९ / अका / शोध / अर्थशास्त्र / २०२३

बिलासपुर, दिनांक 15 FEB 2023

प्रति,

Mr. Ashis Kumar Sa (Research Scholar)

Department of Economics

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,

Bilaspur (C.G.)

विषय – यूजीसी (एमफिल / पीएचडी) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएचडी उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 06-12-2022 में लिए गये निर्णय के परिवर्ष में शोध कार्य हेतु (विषय) अर्थशास्त्र, विद्यापीठ-सामाजिक विज्ञान में आपका पंजीयन सहज संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है—

शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
"An Economic Analysis of Agricultural Insurance in Odisha (With Special Reference to Western Odisha)"	डॉ नमिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)		
शोध केन्द्र	पंजीयनकर्ता	पंजीयनतिथि	नामांकनकर्ता
अर्थशास्त्र विभाग (विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	215323501	06-12-2022	GGV/19/8426

1 आप यूजीसी (एमफिल / पीएचडी) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएचडी शोध कार्यकरणे। विश्वविद्यालय शोध विनियम १८ के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि नियमतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध यन्त्र प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उम्मेदः